न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 18/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
जितेन्द्र पुत्र बनाराम जाति जटिया निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर		तहसीलदार धोरीमना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 2002 दिनांक 16.01.2017 द्वारा तहसीलदार धोरीमना।

उपस्थित– 1. श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता व श्री महावीर मेहता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

आदेश — दिनांक 13.12.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 477/2 रकबा 8.1 बीघा, खसरा नंबर 612 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 612/6 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नंबर 612/7 रकबा 9 बिस्वा मौजा धोरीमना तहसील धोरीमना में आई हुई है। अपीलांट के पिता बनाराम द्वारा सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मु0 बाड़मेर के न्यायालय मे वाद संख्या 167/99 पेश किया गया। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मु. बाड़मेर द्वारा उक्त वाद का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दिनांक 12.9.2011 को निर्णय करते हुए डिक्री पर्चा जारी किया गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार धोरीमना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2002 दिनांक 16.01.2017 भरा गया है, को निरस्त करने हेतु अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि तहसीलदार धोरीमना द्वारा सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मु. बाड़मेर के आदेश की समुचित एवं विधि सम्मत पालना नहीं की गई। अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 2002 दिनांक 16.01.2017 को निरस्त किया जाये तथा नये सिरे से नामान्तरकण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार धोरीमना को निर्देशित किया जावें।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान् जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2002 दिनांक 16.01.2017 सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मु. बाड़मेर द्वारा वाद संख्या 167/99 में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2011 की पालना में भरा गया है। जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस पर मनन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार धोरीमना द्वारा मौजा धोरीमना के नामान्तरकरण संख्या 2002 पर पारित आदेश दिनांक 16.1.2017 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2002 सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मु. बाड़मेर द्वारा वाद संख्या 167/99 में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2011 की पालना में भरा गया है। धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मूल आदेश के विरूद्व अपील पेश किये जाने का प्रावधान है। मूल आदेश वह हैं, जो किसी आदेश पर निर्भर नहीं हो, मगर इस प्रकरण में अपीलांट ने तहसीलदार धोरीमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 के विरूद्व

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपील पेश की है, जो मूल आदेश नहीं है, बल्कि यह आदेश सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मु. बाड़मेर के आदेश दिनांक 12.9.2011 पर निर्भर है। इसलिये यह अपील पोषणीय (maintainable) नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील पोषणीय (maintainable) नहीं होने से खारिज की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)